<u>उच्च न्यायालय उत्तरखंड, नैनीताल</u>

माननीय न्यायाधीश राकेश थपलियाल, जे.

नवंबर 28, 2023

जमानत आवेदन संख्या 1297 सन 2023

अनिल जोशी ..... आवेदक।

बनाम

उत्तराखंड राज्य .....प्रत्यर्थी ।

आवेदक के लिए वकील: श्री बी. एस. भंडारी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता।

राज्य के लिए अधिवक्ता: श्री सौरभ पांडे, राज्य के विद्वान ब्रीफ होल्डर।

विद्वान वकील को सुनने के बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दियाः

(श्री राकेश थपलियाल, जे. के अनुसार)

1. यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत एक आवेदन है, जिसमें पुलिस स्टेशन सतर्कता अधिष्ठान केंद्र, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल में दर्ज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत संज्ञेय अपराध के लिए एफआईआर संख्या 03/2023 के संबंध में जमानत की मांग की गई है।

2. आवेदक के वकील का कहना है कि, वास्तव में, जाल बिछाए जाने से पहले, शिकायतकर्ता द्वारा एक प्रारंभिक शिकायत की गई थी, जो वास्तव में, एफआईआर दर्ज करने का आधार है। वर्तमान आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था।

3. आवेदक के विद्वान वकील का यह भी कहना है कि, वास्तव में, प्रारंभिक शिकायत के अनुसार, मांग एक डॉ. तपन कुमार शर्मा द्वारा उठाई गई थी, जो सह-अभियुक्त हैं, और उन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत आवेदन संख्या 1257 सन 2023 में पारित दिनांक 18.09.2023 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

4. आवेदक के विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्रारंभिक शिकायत से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा कोई मांग नहीं की गई है, जो एक लेखाकार के रूप में संविदा के आधार पर विभाग में सेवा कर रहा था, और इसलिए, उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।

5. वहीं दूसरी ओर, राज्य के वकील द्वारा प्रस्तुत किया है कि हालांकि प्रारंभिक शिकायत में आवेदक का नाम नहीं है, और इस तरह, कोई मांग नहीं थी, जैसा कि प्रारंभिक शिकायत से प्रतीत होता है, लेकिन अपराध में उसकी भागीदारी उस समय सामने आई जब जाल बिछाया गया था।

6. मैंने उस आदेश का भी अवलोकन किया, जिसके द्वारा सह-अभियुक्त-डॉ. तपन कुमार को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था, और इस आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि सह-अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, क्योंकि आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के समय कोई मंजूरी नहीं थी।

7. राज्य के विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि इस आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और इसके संदर्भ में, प्रति-शपथ पत्र के पैरा संख्या 09 में दिए गए बयान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. वर्तमान आवेदक दिनांक 08.05.2023 से जेल में है। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, संज्ञान लिया गया है और मुकदमा चल रहा है, जो बयानों से स्पष्ट रूप से पता चलता है, जैसा कि प्रति-शपथ पत्र के पैरा संख्या 4 में दिया गया है ।

9. इन तथ्यों पर विद्वान राज्य वकील द्वारा विवाद नहीं किया गया है कि आरोप पत्र दायर किया गया है; संज्ञान लिया गया है; मुकदमा चल रहा है, और इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा प्रारंभिक शिकायत से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मांग नहीं है, जिस पर राज्य वकील द्वारा भी विवाद नहीं किया गया है।

10. पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करने के बाद और इस मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का मानना है कि यह जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

11. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12. आवेदक को व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि की दो विश्वसनीय जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाए ।

_____

राकेश थपलीयाल , जे.

रीना बिष्ट